न्यायालय जिला कलेक्टर (पंजीयक)सवाई माधोपुर

अपील संख्या 17/22
GCMS NO-2022/182

सन् 2022

बउनवानीः– 1. हजारी पुत्र श्री मोरपाल माली निवासी शेरपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. सविता पत्नि रामवतार माली निवासी शेरपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

(अपील तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक/कमांक/राजस्व/20/1524 दिनांक 18.6.2020 जिसके द्वारा खातेदारी भूमि के 500 वर्ग मीटर हिस्से मे निर्माण की स्वीकृति दी गयी है के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री रघुनन्दन सिंह राजावत — वकील अपीलान्ट
2. श्री राधेश्याम वैष्णव — वकील रेस्पो0

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16.2.2023

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक/कमांक/राजस्व/20/1524 दिनांक 18.6.2020 जिसके द्वारा खातेदारी भूमि के 500 वर्ग मीटर हिस्से मे निर्माण की स्वीकृति दी गयी है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आराजी ख0न0 394 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम शेरपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर मे स्थित है। उक्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पो.की सहखातेदारी की भूमि है जिसमे अपीलान्ट का हिस्सा 1/7 एवं रेस्पो. का हिस्सा 6/7 है। जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 की प्रति की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के ख0न0 394 का रकबा 0.38 है0 में बिना अपीलान्ट की सहमति एवं बिना तकासमा कराये जैर आराजीयात वन विभाग के मापदण्डो के अनुसार 1000 मीटर की परिधि में स्थित होते हुए भी जैर आराजीयात के 1/50 वे भाग जो 500 वर्ग मीटर से अधिक नही होने के बावजूद भी रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा आदेश जैर अपील से निर्माण की अनुमति दी गयी है। यह तर्क भी दिया कि उक्त आराजीयात ख0न0 394 रकबा 0.3800 है0 में रेस्पो. का हिस्सा 0.3257 है0 बनता है जिसका 50 वॉ हिस्सा 65.14 वर्ग मीटर बनता है जबकि आदेश जैर अपील से रेस्पो0 को 500 वर्गमीटर भूमि जो कि रणथम्भौर बाघ परियोजना की 1000 वर्गमीटर की परिधि मे आती है जिसके संबंध में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नही लिया है जबकि राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.11(14)फोरेस्ट/01/जयपुर/दिनांक 26.12.2002 से निर्माण पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी उक्त आराजीयात पर निर्माण करने की स्वीकृति दी गयी है तथा जिस भूमि पर निर्माण स्वीकृति दी गयी है उसका तकासमा भी नही हो रहा है जबकि तकासमा [illegible] उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे विचाराधीन है इसलिए आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 6.9.2022 [illegible] नकल प्राप्त होने पर प्राप्त हुई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:40 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि ख0न0 394 रकबा 0.38 है0 का रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार होने के कारण उक्त आराजी मे 500 वर्ग मीटर मे अपने आवास गृह,पशु बाडा,स्टोर रूम,एवं सुरक्षा हेतु चार दीवारी का निर्माण करने की स्वीकृति देने हेतु दिनांक 16.6.2020 को निवेदन किया जाने पर एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.6.2020 के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह कि विवादित भूमि को लेकर दिनांक 7.2.2014 को अपीलान्ट के तीनो भाईयो क्रमशः हजारी, रामदयाल, कैलाश पुत्रान मोरपाल माली निवासी खिलचीपुर के मध्य लिखित सहमति से बटवारानामा हुआ था मुताबिक बटवारा उक्त ख0न0 रामदयाल के हिस्से मे आया है तथा रामदयाल व केलाश, तुलसा,चौथी, गंगा, शांति के हिस्से की आराजी रेस्पो. द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की जा चुकी है। अपीलान्ट का उक्त ख0न0 से कोई लेना देना नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूँ कि रामदयाल व केलाश, तुलसा,चौथी,गंगा, शांति के हिस्से की ख0न0 243,244,245, 258,259, 360, 361,362,366,367,368,369,394,395 कुल किता 14 कुल रकबा 1.4500 है0 भूमि का 6/7 हिस्सा रेस्पो. द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है। रेस्पो. को आदेश जैर अपील से 500 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गयी है जबकि नियमानुसार अपनी खातेदारी भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण स्वीकृति दी जा सकती है। उक्त सम्पूर्ण रकबा 1.4500 है0 भूमि का 6/7 हिस्सा लगभग 1.2428 है0 बनता है जिसका 1/50 हिस्सा 248.56 वर्ग मीटर बनता है तथा ख0न0 394 रकबा 0.3800 है0 मे रेस्पो. का 6/7 हिस्सा लगभग 0.3257 है0 बनता है जिसका का 1/50 हिस्सा 65.17 वर्ग मीटर बनता है। इस प्रकार नियमानुसार रेस्पो. के हिस्से के सम्पूर्ण ख0न0 के 1/50 हिस्से पर निर्माण स्वीकृति 248.56 वर्ग मीटर तक दी जा सकती है तथा ख0न0 394 मे से केवल मात्र 65.17 वर्गमीटर तक ही अनुमति दी जा सकती है। उक्त विवेचन के आधार पर 500 वर्ग मीटर पर निर्माण हेतु दी गयी अनुमति विधि सम्मत नही होने के कारण आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.2.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:31:40 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर